

अनुलग्नक क. 1.3

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29/12/2004

// अधिसूचना //


क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/घार - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-अ के खण्ड (1) के साथ
द्वितीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क. 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में,
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 286/ब-4/वार/2003, दिनांक 22 अगस्त
2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् -

// संशोधन //

उक्त अधिसूचना में,

पैरा 4 में शब्द तथा अंक "31 दिसंबर, 2004" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसंबर, 2005"
स्थापित किया जाये।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29/12/2004

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/घार - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण
के में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.)/घार का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के
प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव